


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री अशोक कुमार पिता श्री जगदीश रजवार, श्री अमित रजवार पिता श्री बुधन रजवार एवं श्री पंकज रजवार पिता श्री दशरथ रजवार, निवासी ग्राम: रहावन, थाना: महुआटांड, जिला: बोकारो (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: लईयो, थाना सं: 162, खाता सं. 26 के अधीन प्लॉट सं. 2073, 2074(P), 2075(P), 2076, 2077(P), 2081(P), 2082(P), 2083(P), 2084(P), 2085(P), 2086(P), 2087(P), 2088(P), 2090(P), 2091, 2092, 2093, 2094(P), 2095 & 2096(P) और ग्राम: रहावन, थाना सं: 29, खाता सं. 09 के अधीन प्लॉट सं. 469, 481, 540, 968, 969, 1016, 1018, 497 & 498(P); खाता सं: 10 के अधीन प्लॉट सं: 440 & 902 एवं खाता सं: 35 के अधीन प्लॉट सं: 189, 435, 896 & 918 कुल रकबा - 6.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/बेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त ग्राम: लईयो, थाना सं: 162, खाता सं. 26 के अधीन प्लॉट सं. 2073, 2074(P), 2075(P), 2076, 2077(P), 2081(P), 2082(P), 2083(P), 2084(P), 2085(P), 2086(P), 2087(P), 2088(P), 2090(P), 2091, 2092, 2093, 2094(P), 2095 & 2096(P) और ग्राम: रहावन, थाना सं: 29, खाता सं. 09 के अधीन प्लॉट सं. 469, 481, 540, 968, 969, 1016, 1018, 497 & 498(P); खाता सं: 10 के अधीन प्लॉट सं: 440 & 902 एवं खाता सं: 35 के अधीन प्लॉट सं: 189, 435, 896 & 918 कुल रकबा- 6.00 एकड़ के तहत श्री अशोक कुमार पिता श्री जगदीश रजवार, श्री अमित रजवार पिता श्री बुधन रजवार एवं श्री पंकज रजवार पिता श्री दशरथ रजवार, ग्राम: रहावन, थाना: महुआटांड, जिला: बोकारो (झारखण्ड) के निवासी के भूमि के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
१२/११४